सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

राष्ट्रीय विद्युत निधि संबंधी दिशानिर्देश

(ब्याज सब्सिडी योजना)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)
संबंधी
दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

क्रम सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में दिनांक 05.07.2012 का कार्यालय ज्ञापन	1-21
2.	राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) स्थापित करने के बारे में दिनांक 14.03.2012 का कार्यालय ज्ञापन	22-33
3.	राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) की संचालन समिति के गठन के बारे में दिनांक 13.02.2012 का कार्यालय ज्ञापन	34-36
4.	पात्र परियोजनाओं की दृष्टांत सूची	37

संख्या 24/01/2012-एपीडीआरपी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 05 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश

*****

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की स्थापना की घोषणा बजट भाषण में की गई थी ताकि निधि के मांगपूर्ति में अंतर को कम किया जा सके और सुधार की प्रक्रिया में, विशेषतः वितरण क्षेत्र में तत्परता लाई जा सके, जिसके लिए भारी पूंजी निवेश आवश्यक होता है। विद्युत क्षेत्र की मूल्यवान श्रृंखला में वितरण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिससे इस क्षेत्र को समग्र स्थायित्व देने के लिए राजस्व की वसूली हो पाती है।

ग्यारहवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों की आवश्यकता का अनुमान 10,59,515 करोड़ रुपए का लगाया गया है, जिसमें 5,91,734 करोड़ रुपए विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए, 15,875 करोड़ रुपए विद्यमान विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए तथा 4,49,577 करोड़ रुपए पारेषण और वितरण क्षेत्र के लिए भी शामिल हैं। वितरण क्षेत्र में वास्तविक व्यय 11वीं योजना के दौरान विभिन्न कारणों से अनुमान से बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप निधि का बहुत बड़ा अंतर आ गया है। राष्ट्रीय विद्युत निधि का सृजन इसलिए अधिक सुसंगत हो गया है चूंकि यह बारहवीं योजना के दौरान योजनाबद्ध विद्युत उत्पादन में निवेशों के अनुरूप बनाने के लिए यूटिलिटी को प्रोत्साहित करेगा।

2. राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना की प्रस्तावना

भारत सरकार ने एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) को अनुमोदित कर दिया है ताकि ब्याज सब्सिडी देकर वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, जिसे वितरण परियोजनाओं के अधीन विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सरकारी और प्राइवेट विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए जाने वाले ऋण पर सुधार के उपाय के रूप में जोड़ा गया है। यह योजना पूरे देश में लागू होगी और सभी वितरण परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और आरएपीडीआरपी परियोजनाओं के अधीन आने वाले कार्य इसके पात्र नहीं होंगे ताकि निवेश में दोहरेपन और अनुदान/सब्सिडी का ओवरलैपिंग न होना सुनिश्चित किया जा सके।

विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) स्थापित करने के बारे में कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/01/2012-एनईएफ/एपीडीआरपी दिनांक 14 मार्च, 2012 (प्रतिलिपि **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न) जारी की है। विद्युत मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं.24/2/2012-एनईएफ/एपीडीआरपी दिनांक 13 फरवरी, 2012 (प्रतिलिपि **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न) के जरिए एक संचालन समिति का भी गठन किया है ताकि इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

3. परिभाषाएं और संक्षिप्तियां

3.1 इन दिशानिर्देशों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न होः-

(i) **अधिनियम** से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)।

(ii) **वार्षिक खातों** से तात्पर्य है कंपनी के खाते/रिपोर्ट जो कंपनी के वित्तीय सामर्थ्य को दर्शाने के लिए वित्त वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं और जिनमें संगत अनुसूचियों और विवरणों सहित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल होने चाहिए।

(iii) **औसत राजस्व वसूली** से तात्पर्य है प्राप्त सब्सिडी के आधार पर वसूल किया गया प्रति यूनिट औसत राजस्व (रुपए/केडब्ल्यूएच)।

(iv) **आधारभूत मापदंडों** से तात्पर्य है ऐसे मापदंड, जिनके आधार पर राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन ब्याज सब्सिडी के मूल्यांकन के लिए यूटिलिटीज का मूल्यांकन किया जाएगा। इस योजना के लिए आधारभूत मापदंड, एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां, विद्युत आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)और वसूल किया गया औसत राजस्व (एआरआर)हैं। इन आधारभूत मापदंडों का परिकलन यूटिलिटी के समग्र प्रचालन क्षेत्र के संबंध में किया जाएगा और ये यूटिलिटी के अंतर्गत आने वाले किसी शहर/नगर/परियोजना क्षेत्र तक सीमित नहीं होंगे।

(v) **उधारकर्ता** से तात्पर्य है यूटिलिटी - राज्य विद्युत यूटिलिटी, राज्य विद्युत विभाग तथा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की वितरण कंपनियां। उधारकर्ता ब्याज सब्सिडी "लाभार्थी" होगा, बशर्ते कि वह इन दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों और आवश्यक समेकित अंकों के लक्ष्य को पूरा करता हो।

(vi) **कारोबार योजना** से तात्पर्य है वित्तीय विवरण, जो यूटिलिटी ने अपने सभी अभिनिर्धारित रोकड़ प्रवाह के विवरणों को दर्शाने के लिए तैयार किए हों और जो उनके वित्तीय पोषण का माध्यम हों। तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों में पूरे वित्त वर्ष या अभिनिर्धारित किए जाने वाले माध्यमों के स्थायी लाभकारी वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोकड़ प्रवाह, लाभ एवं हानि विवरण और तुलन-पत्र भी शामिल होंगे।

(vii) **चालू वर्ष** से तात्पर्य है वह वित्त वर्ष, जिसमें कोई यूटिलिटी राट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन लाभ चाहता है।

(viii) **वितरण कंपनी** से तात्पर्य है सरकारी/प्राइवेट कंपनी जो बिजली के वितरण और फुटकर आपूर्ति के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के लाइसेंसशुदा कारोबार में लगा हो।

(ix) **वितरण क्षेत्र मूल सुविधा** से तात्पर्य है वे सुविधाएं जो उप-ट्रांसमिशन लेवल (यथास्थिति 66 या 33 केवी तक या उससे नीचे) से विद्युत के वितरण की सुविधा उपभोक्ताओं को देने के लिए आवश्यक हों।

(x) **पात्रता का मापदंड** से तात्पर्य है वह मापदंड जो ब्याज सब्सिडी की दर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो और जो सुधार अर्थात एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने, राजस्व अंतर को कम करने (एसीएस-एआरआर) की प्रगति से जुड़ी हों और जो इक्विटी पर वापसी और बहु-वर्षीय टैरिफ विनियमों की शर्तें पूरी करते हों।

(xi) **प्रतिष्ठान(एनटिटि)** से तात्पर्य है इन दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित सभी यूटिलिटी।

(xii) **वित्त वर्ष** से तात्पर्य है कैलेंडर वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू और बाद के कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त वर्ष।

(xiii) **केंद्रित (फोकस्ड) राज्यों** से तात्पर्य है बिहार और झारखंड।

(xiv) **स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता** से तात्पर्य है आधारभूत मापदंडों और लागू ब्याज सब्सिडी आदि के हिसाब लगाने जैसे अन्य कार्यों के प्रस्तावों और निर्धारण के लिए नियुक्त एजेंसी (एजेंसियां)।

(xv) **जेईआरसी** से तात्पर्य है ज्वांइट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन (संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग)।

(xvi) **उधारदाता** से तात्पर्य है वित्तपोषक संस्थान, जिनमें आरईसी/पीएफसी, अन्य वाणिज्यिक बैंक और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

(xvii) **एमओपी** से तात्पर्य है मिनिस्ट्री ऑफ पावर (विद्युत मंत्रालय)।

(xviii) **एमवाईटी विनियमों** से तात्पर्य है बहुवर्षीय टैरिफ विनियम जो समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए हों।

(xix) **एनईएफ** से तात्पर्य है नेशनल इलेक्ट्रीसिटी फंड (राष्ट्रीय विद्युत निधि)।

(xx) **एनटीपी** से तात्पर्य है नेशनल टैरिफ पॉलिसी, 2006 (राष्ट्रीय टैरिफ नीति-2006)।

(xxi) **नोडल एजेंसी** से तात्पर्य है संपूर्ण देश में एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए नियुक्त एजेंसी।

(xxii) **पीएफसी** से तात्पर्य है पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड।

(xxiii) **पूर्व-योग्यता शर्त** से तात्पर्य है ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पूर्व-योग्यता के संबंध में निर्धारित शर्तें और जो सुधारात्मक उपायों से जुड़े हैं। इन शर्तों से तात्पर्य है एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन, कारोबार योजना तैयार करने, राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन, राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी जारी करना, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना और टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना।

(xxiv) **परियोजना क्षेत्र** से तात्पर्य है एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन पात्र परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

(xxv) **प्रस्ताव** से तात्पर्य है दस्तावेजों का सेट, जो एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) का लाभ उठाने के लिए नोडल एजेंसी को उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

(xxvi) **आरईसी** से तात्पर्य है रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ।

(xxvii) **संसाधन योजना** से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई योजना, जिसमें दी गई योजना में उन संसाधनों का अनुमान शामिल है जो यूटिलिटी के राजस्व और पूंजीगत व्यय को पूरा करते हों और इसमें पिछले वर्ष (वर्षों) में खर्च किए गए वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय भी शामिल हैं।

(xxviii) **आरजीजीवीवाई** से तात्पर्य है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना।

(xxix) **आरओसीई** से तात्पर्य है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्पलाइड (लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ) जिसकी परिभाषा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अपने टैरिफ आदेश/टैरिफ विनियमों में दी गई है।

(xxx) **आर-एपीडीआरपी** से तात्पर्य है रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफार्म प्रोग्राम (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम)।

(xxxi) **एसईआरसी** से तात्पर्य है स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेशन कमीशन (राज्य विद्युत विनियामक आयोग)।

(xxxii) **स्टेट विद्युत यूटिलिटी** से तात्पर्य है राज्य विद्युत बोर्ड, जो राज्य में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में से सभी या कोई एकीकृत कार्य करता है।

(xxxiii) **राज्य विद्युत विभाग** से तात्पर्य है राज्य सरकार का विभाग, जो राज्य में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के सभी या कुछ एकीकृत कार्य करता है।

(xxxiv) **संचालन समिति** से तात्पर्य है विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति ताकि एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) का सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(xxxv) **टैरिफ याचिका** से तात्पर्य है टैरिफ संबंधी आवेदनपत्र, जो समुचित आयोग द्वारा निर्धारित लागू विनियमों के अनुसार विवरणों सहित हों। टैरिफ याचिका में वार्षिक टैरिफ ढांचे के अधीन वार्षिक राजस्व आवश्यकता अथवा बहुवर्षीय टैरिफ ढ़ांचे के अधीन एकीकृत राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिकाएं भी शामिल हैं।

(xxxvi) **यूटिलिटी** से तात्पर्य है राज्य विद्युत यूटिलिटी, राज्य विद्युत विभाग और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों की वितरण कंपनियां, जो बिजली के वितरण और फुटकर आपूर्ति के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आपूर्ति क्षेत्र के अंदर फुटकर उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के कारोबार में लगी हुई हैं।

4. राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अंतर्गत कार्यक्षेत्र और पात्रताः

4.1 **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) का लाभ उठाने के लिए पात्र प्रतिष्ठानः** सभी राज्य विद्युत प्रतिष्ठान, राज्य विद्युत विभाग और विद्युत वितरण और फुटकर आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस के अनुसार आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत फुटकर उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के कारोबार में लगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों की वितरण कंपनियां, एनईएफ योजना के अधीन ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने की पात्र होंगी।

4.2 **पात्र परियोजनाएंः** राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन सभी वितरण क्षेत्र की ढांचागत पूंजी परियोजनाएं पात्र हैं बशर्ते कि प्रस्तावित कार्य का आर-एपीआरडीपी या आरजीजीवीवाई योजना के माध्यम से वित्तपोषण न किया गया हो। जिन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से कोई अन्य अनुदान/सब्सिडी पहले ही प्राप्त/आबंटित की गई हो, वे भी इस योजना के अधीन पात्र नहीं होंगी। पात्र परियोजना की दृष्टांत सूची **अनुबंध-III** में संलग्न है। आर-एपीडीआरपी की भांति किया जाने वाला कार्य भी इस योजना के अधीन पात्र होगा।

पात्र परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से प्रतिष्ठानों द्वारा लिए गए ऋण पर उस स्थिति में एनईएफ का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है जब भारत सरकार ने या भारत सरकार की ओर से कोई राहत न दी गई हो।

अधिसूचित फ्रैंचाइजी क्षेत्र में यूटिलिटी द्वारा अथवा यूटिलिटी की ओर से फ्रैंचाइजी द्वारा किया गया पूंजीगत कार्य भी एनईएफ योजना के अधीन लाभ के पात्र होंगे, बशर्ते कि एनईएफ योजना की उपलब्धता के प्रावधान का फ्रैंचाइजी की नियुक्ति के संबंध में बोली दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। यूटिलिटी के कार्य-निष्पादन के मापदंड पर पात्र सब्सिडी के मूल्यांकन के संबंध में विचार किया जाएगा। पात्र ब्याज सब्सिडी यूटिलिटी को जारी की जाएगी और वह यूटिलिटी फ्रैंचाइजी के साथ परस्पर व्यवस्था करेगा ताकि उपभोक्ताओं को इस योजना के अधीन लाभ मिल सके।

संचालन समिति इस योजना के अधीन पात्रता के लिए किसी अन्य प्रकार की परियोजना को शामिल कर सकती है।

4.3 **पात्र ऋणः** उधारदाताओं (आरईसी, पीएफसी, अन्य वाणिज्यिक बैंकों और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर वित्त वर्ष 2012-13 और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संचालन समिति द्वारा विचार किया जाएगा, बशर्ते कि संचालन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इन परियोजनाओं के अधीन उधारदाताओं द्वारा कोई संवितरण न किया गया हो।

4.4 **कार्यान्वयन के दौरान ऋण की रकम बढ़ानाः** कार्यान्वयन की अवधि के दौरान ऋण की रकम बढ़ाने पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, यदि उधारदाताओं द्वारा मूल स्वीकृति में लागत वृद्धि की गई हो। परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण किसी वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.5 **ब्याज सब्सिडी की अवधिः** राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन किसी भी पात्र परियोजना को दिए जाने वाले ऋण की अवधि अधिकतम 13 वर्ष होगी अर्थात ब्याज सब्सिडी की अवधि ऐसी परियोजनाओं के मामले में वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 तक बढ़ाई जा सकती है, जो क्रमशः वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के दौरान स्वीकृत की गई हों।

5. एनईएफ योजना के अधीन लाभ उठाने के लिए शर्तः

5.1 एनईएफ योजना के अधीन लाभ चाहने वाली यूटिलिटी को पैरा 5.3 के अधीन दी गई पूर्व पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। पूर्व पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली यूटिलिटी का तब मूल्यांकन किया जाएगा और पैरा 5.4 में दिए गए मापदंडों के अनुसार उनकी उपलब्धि पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। इसके बाद यूटिलिटी को पैरा 5.5 के अधीन दिए गए समग्र प्राप्त अंकों के आधार पर ब्याज सब्सिडी का हिसाब लगाने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। यूटिलिटी को इन शर्तों के मूल्यांकन के लिए प्रति वर्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।

5.2 पैरा 5.3 और 5.4 के अधीन दी गई शर्तों को लागू करने के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दो समूह बनाए गए हैं

(क) **समूह I: संघ शासित प्रदेशों और विशेष श्रेणी तथा केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों में स्थित यूटिलिटी**

विशेष राज्य और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्य हैं: हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गोवा।

ऐसे **संघ राज्य क्षेत्र** हैं: चंडीगढ़, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप।

(ख) **समूह II: विशेष श्रेणी तथा केंद्रित राज्यों में स्थित यूटिलिटीः**

विशेष श्रेणी राज्य हैं: पूर्वोत्तर राज्य (असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड), सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।

केंद्रित (फोकस्ड) राज्य हैं: बिहार और झारखंड

समूह I और II के अधीन आने वाली यूटिलिटी को आगे निम्नलिखित उप-समूह में रखा गया है।

(i) **राज्य विद्युत विभाग** के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटी

(ii) **राज्य विद्युत यूटिलिटी/प्राइवेट वितरण कंपनियों** के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटी

5.3 ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पूर्व-पात्रता शर्तें

(क) **समूह I: विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों के राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटीज**

क्रम सं.	पूर्व पात्रता शर्तें	राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाले प्रतिष्ठान
(i)	एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन	✓
(ii)	कारोबार योजना तैयार करना	✓
(iii)	राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	×
(iv)	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना	✓
(v)	लेखापरीक्षित वार्षिक खाते	× #
(vi)	टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना	✓

राज्य विद्युत विभागों द्वारा ऐसी वार्षिक संसाधन योजना प्रस्तुत करनी होगी जैसे योजना आयोग या राज्य योजना विभाग को प्रस्तुत की जाती है।

उपर्युक्त पूर्व पात्रता शर्तों का अनुपालन नीचे दिए अनुसार किया जाएगाः

(i) राजय विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) का प्रचालन

एसईआरसी/जेईआरसी को यूटिलिटी के राज्य में परिचालित किया गया है और फुटकर टैरिफ के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार समुचित आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है।

(ii) **कारोबार योजना तैयार करना** यूटिलिटी द्वारा अभिनिर्धारित तरीकों से वित्तीय लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए 5 वर्ष की अवधि के वित्तीय कारोबार और/या स्थायी लाभकारिता की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए निम्न कारोबार योजना का अनुपालन किया जाएगा।

- घाटे में चल रहे प्रतिष्ठानों के लिएः कारोबार योजना में ऐसी वित्तीय कारोबार योजना शामिल की जाएगी जिसमें कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 साल) के दौरान दिए गए किसी वर्ष में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) सकारात्मक हो गया हो। इनमें वे वर्ष भी शामिल हैं जिनके संबंध में ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है और वे कारोबार योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान सकारात्मक बने रहेंगे।

अथवा

- लाभ में चलने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कारोबार योजना में कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 वर्ष) के दौरान स्थायी लाभकारिता (पीएटी) दर्शाई गई हो, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जिसमें ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है।

यदि राज्य सरकार से सहायता लेकर कारोबार योजना तैयार की जा रही हो तो इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कारोबार में दर्शाए गए निवेश को एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन

राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन की पूर्व पात्रता शर्त विद्युत विभागों पर लागू नहीं होगी।

(iv) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना

पिछले वर्ष की सब्सिडी की रकम प्राप्त हो गई है और राज्य के वार्षिक बजट में चालू वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। उधारकर्ता (उधारकर्ताओं)को इस पूर्व पात्रता शर्त के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यदि ब्याज सब्सिडी को जारी करने की मांग करते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति वर्ष के लिए सब्सिडी जारी नहीं की गई हो, तो अनुमोदित ब्याज सब्सिडी उस वर्ष विशेष के लिए संवितरित नहीं की जाएगी।

(v) लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने की पूर्व पात्रता शर्त विद्युत विभाग पर लागू नहीं होगी।

लेकिन राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटियों को उसी प्रकार वार्षिक संसाधन योजना प्रस्तुत करनी होगी जैसे योजना आयोग या राज्य योजना आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

(vi) टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना

यदि यूटिलिटी चालू वित्त वर्ष के 30 नवंबर को या उससे पहले वित्तीय सहायता चाहता हो तो एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा चालू वर्ष के लिए टैरिफ आदेश जारी किया जाना चाहिए।

यदि यूटिलिटी चालू वित्त वर्ष के नवंबर माह के बाद वित्तीय सहायता चाहता हो तो चालू वर्ष का टैरिफ आदेश एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका यूटिलिटी द्वारा दाखिल कर दी जानी चाहिए।

ख) समूह I : विशेष राज्य श्रेणी और केंद्रित राज्य से भिन्न राज्य में राज्य विद्युत यूटिलिटी/ प्राइवेट वितरण कंपनी के रूप में कार्य करने वा यूटिलिटी

क्रम सं.	पूर्व पात्रता शर्तें	राज्य विद्युत यूटिलिटी/ प्राइवेट वितरण कंपनी के रूप में कार्य करने वाले यूटिलिटी
(i)	एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन	✓
(ii)	कारोबार योजना तैयार करना	✓
(iii)	राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	✓
(iv)	राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना	✓
(v)	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे	✓
(vi)	टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना	✓

(✓)अनुपालन आवश्यक (✗) छूट प्राप्त

उपर्युक्त पूर्व पात्रता शर्तों का अनुपालन नीचे दिए अनुसार किया जाएगा:

(i) **राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) का प्रचालन**

एसईआरसी/जेईआरसी को यूटिलिटी के राज्य में परिचालित किया गया है और फुटकर टैरिफ के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार समुचित आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है।

(ii) **कारोबार योजना तैयार करना**

यूटिलिटी द्वारा अभिनिर्धारित तरीकों से वित्तीय लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए 5 वर्ष की अवधि के वित्तीय कारोबार और/या स्थायी लाभकारिता की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कारोबार योजना का अनुपालन किया जाएगा।

- घाटे में चल रही यूटिलिटियों के लिएः कारोबार योजना में ऐसी वित्तीय कारोबार योजना शामिल की जाएगी जिसमें कारोबार योजना की अवधि (कम से कम 5 वर्ष) के दौरान दिए गए किसी वर्ष में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) सकारात्मक हो गया हो। इनमें वह वर्ष भी शामिल है जिनके संबंध में ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है और जिनके कारोबार योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान सकारात्मक बने रहने का दावा किया जाता हो।

अथवा

- लाभ में चलने वाली यूटिलिटियों के संबंध में कारोबार योजना में कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 वर्ष) के दौरान स्थायी लाभकारिता (पीएटी) दर्शाई गई हो, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जिसमें ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है।

  यदि राज्य सरकार से सहायता लेकर कारोबार योजना तैयार की जा रही हो तो इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कारोबार में दर्शाए गए निवेश को एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iii) **राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन किया गया है।

राज्य बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:

- हाल ही में गठित उत्तरवर्ती प्रतिष्ठान के लिए आरंभिक तुलन-पत्र तैयार कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अंतरण योजना को अधिसूचित कर दिया गया है।
- विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग कंपनियां गठित की गई हैं।
- हाल ही में गठित उत्तरवर्ती प्रतिष्ठान द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।

(iv) **राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना**

पिछले वर्ष की सब्सिडी की रकम प्राप्त हो गई है और राज्य के वार्षिक बजट में चालू वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को इस पूर्व पात्रता शर्त के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यदि ब्याज सब्सिडी को जारी करने की मांग करते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति वर्ष के लिए सब्सिडी जारी नहीं की गई हो तो अनुमोदित ब्याज सब्सिडी उस वर्ष विशेष के लिए संवितरित नहीं की जाएगी।

(v) **लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे**

यूटिलिटि (निजी वितरण कंपनियों के अलावा) द्वारा वित्त वर्ष (एन-2) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खाता प्रस्तुत करना होगा, जहां कि (एन-2) वह चालू वित्त वर्ष हो। लेकिन प्राइवेट वितरण कंपनियों को वित्त वर्ष (एन-2) के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खाता प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि वह प्रतिष्ठान चालू वित्त वर्ष (एन) के 30 सितंबर से पहले वित्तीय सहायता चाहता हो और यदि चालू वित्त वर्ष (एन) के 01 अक्तूबर को या उसके बाद एनईएफ के अधीन वित्तीय सहायता मांगी गई हो तो पिछले वित्त वर्ष (एन-1) के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(vi) **टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना**

यदि यूटिलिटी चालू वित्त वर्ष के 30 नवंबर को या उससे पहले वित्तीय सहायता चाहता हो तो एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा चालू वर्ष के लिए टैरिफ आदेश जारी किया जाना चाहिए।

यदि यूटिलिटी चालू वित्त वर्ष के नवंबर माह के बाद वित्तीय सहायता चाहता हो तो चालू वर्ष का टैरिफ आदेश एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका यूटिलिटी द्वारा दाखिल कर दी जानी चाहिए।

ग) **समूह II : विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों के राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटियां**

क्रम सं.	पूर्व पात्रता शर्तें	राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाले प्रतिष्ठान
क	एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन	×
ख	कारोबार योजना तैयार करना	✓
ग	राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	×
घ	सब्सिडी	✓
ङ.	लेखापरीक्षित वार्षिक खाते	× #
च	टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना	×

(✓)अनुपालन आवश्यक (×) छूट प्राप्त

राज्य विद्युत विभागों द्वारा ऐसी वार्षिक संसाधन योजना प्रस्तुत करनी होगी जैसी योजना आयोग या राज्य योजना विभाग को प्रस्तुत की जाती है।

उपर्युक्त **पूर्व पात्रता शर्तों** का अनुपालन नीचे दिए अनुसार किया जाएगा:

(i) **राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) का प्रचालन**

राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) के प्रचालन की पूर्व पात्रता शर्त लागू नहीं होगी।

(ii) कारोबार योजना तैयार करना

यूटिलिटि द्वारा अभिनिर्धारित तरीकों से वित्तीय लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए 5 वर्ष की अवधि के वित्तीय कारोबार और/या स्थायी लाभकारिता की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

उपर्युक्त पूर्व पात्रता शर्तों का अनुपालन नीचे दिए अनुसार किया जाएगाः

- घाटे में चल रही यूटिलिटियों के लिएः कारोबार योजना में ऐसी वित्तीय कारोबार योजना शामिल की जाएगी जिसमें कारोबार योजना की अवधि के दौरान दिए गए किसी वर्ष में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) सकारात्मक हो गया हो। इनमें वह वर्ष भी शामिल है जिनके संबंध में ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है और वे कारोबार योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान सकारात्मक बना रहेगा।

अथवा

- लाभ में चलने वाली यूटिलिटियों के संबंध में कारोबार योजना में कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 वर्ष) के दौरान स्थायी लाभकारिता (पीएटी) दर्शाई गई हो, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जिसमें ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है।

यदि राज्य सरकार से सहायता लेकर कारोबार योजना तैयार की जा रही हो तो इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कारोबार में दर्शाए गए निवेश को एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन

इस समूह में राज्य विद्युत विभाग को इस शर्त को पूरा करने से छूट दी गई है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना

पिछले वर्ष की सब्सिडी की रकम प्राप्त हो गई है और राज्य के वार्षिक बजट में चालू वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) इस पूर्व पात्रता शर्त के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यदि ब्याज सब्सिडी को जारी करने की मांग करते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति वर्ष के लिए सब्सिडी जारी नहीं की गई हो तो अनुमोदित ब्याज सब्सिडी उस वर्ष विशेष के लिए संवितरित नहीं की जाएगी।

(v) लेखापरीक्षित वार्षिक खाते

लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने की पूर्व पात्रता शर्त विद्युत विभाग पर लागू नहीं होगी।

लेकिन राज्य विद्युत विभाग के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटियों को उसी प्रकार वार्षिक संसाधन योजना प्रस्तुत करनी होगी जैसे योजना आयोग या राज्य योजना आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

(vi) टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना

इस समूह में राज्य विद्युत विभाग को इस शर्त को पूरा करने से छूट दी गई है।

घ) **समूह II : विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों के राज्य विद्युत यूटिलिटियों/प्राइवेट वितरण कंपनियों के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटियां**

क्रम सं.	पूर्व पात्रता शर्तें	राज्य विद्युत यूटिलिटियां / प्राइवेट वितरण कंपनी के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटियां
क	एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन	✓
ख	कारोबार योजना तैयार करना	✓
ग	राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन	✗*
घ	सब्सिडी	✓
ड.	लेखापरीक्षित वार्षिक खाते	✗*
च	टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना	✓

* इन पूर्व पात्रता शर्तों को, योजना के प्रचालन के तीन साल के बाद, समूह–1 के अंतर्गत यूटिलिटि जो राज्य विद्युत यूटिलिटी/निजी वितरण कंपनियों के रूप में कार्यरत है को पूर्व पात्रता शर्तों के साथ गठबंधित किया जाना होगा।

उपर्युक्त **पूर्व पात्रता शर्तों** का अनुपालन नीचे दिए अनुसार किया जाएगाः

(i) **एसईआरसी/जेईआरसी का प्रचालन**

एसईआरसी/जेईआरसी को यूटिलिटियों के राज्य में परिचालित किया गया है और फुटकर टैरिफ के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार समुचित आयोग एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है।

(ii) **कारोबार योजना तैयार करना**

यूटिलिटियों द्वारा अभिनिर्धारित तरीकों से वित्तीय लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए 5 वर्ष की अवधि के वित्तीय कारोबार और/या स्थायी लाभकारिता की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कारोबार योजना का अनुपालन किया जाएगा।

- **घाटे में चल रही यूटिलिटियों के लिए:** कारोबार योजना में ऐसी वित्तीय कारोबार योजना शामिल की जाएगी जिसमें कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 र्वा) के दौरान दिए गए किसी वर्ष में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) सकारात्मक हो गया हो। इनमें वह वर्ष भी शामिल है जिसके संबंध में ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है और वे कारोबार योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान सकारात्मक बना रहेगा।

अथवा

- **लाभ में चलने वाली यूटिलिटियों** के संबंध में कारोबार योजना में कारोबार योजना अवधि (कम से कम 5 वर्ष) के दौरान स्थायी लाभकारिता (पीएटी) दर्शाई गई हो, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जिसमें ब्याज सब्सिडी का दावा किया जा रहा है।

यदि राज्य सरकार से सहायता लेकर कारोबार योजना तैयार की जा रही हो तो इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कारोबार में दर्शाए गए निवेश को एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(iii) **राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन**

इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली यूटिलिटी को योजना के प्रचालन से तीन वर्ष तक इस पूर्व पात्रता की शर्त के अनुपालन से छूट प्राप्त हैं। यह पूर्व पात्रता शर्त इस योजना के प्रचालन के तीन वर्ष बाद लागू होगी और समूह 1 के अधीन आने वाली राज्य विद्युत यूटिलिटी/प्राइवेट वितरण कंपनी के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटी पर यह पूर्व शर्त लागू होगी।

राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के शुरू हो जाने के तीन वर्ष बाद राज्य बिजली बोर्डों को राज्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अनुसार पुनर्गठित किया जाना होगा और राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगाः

- हाल ही में गठित उत्तरवर्ती यूटिलिटियां के लिए आरंभिक तुलन-पत्र तैयार कर दिया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा अंतरण योजना को अधिसूचित कर दिया गया है।
- विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग कंपनियां गठित की गई हैं।
- हाल ही में गठित उत्तरवर्ती यूटिलिटियों द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।

(iv) **राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना**

पिछले वर्ष की सब्सिडी की रकम प्राप्त हो गई है और राज्य के वार्षिक बजट में चालू वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। उधारकर्ता (उधारकर्ताओं)को इस पूर्व पात्रता शर्त के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि ब्याज सब्सिडी जारी करने की मांग करते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति वर्ष के लिए सब्सिडी जारी न की गई हो, तो अनुमोदित ब्याज सब्सिडी उस वर्ष विशेष के लिए संवितरित नहीं की जाएगी।

(v) **लेखापरीक्षित वार्षिक खाते**

यदि वित्त वर्ष (एन-2) के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटि (प्राइवेट वितरण कंपनियों से भिन्न) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों, जहां एन चालू वित्त है, तो यूटिलिटि द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत किए जाने होंगे।

लेकिन इन यूटिलिटियों को इस योजना के चालू होने के तीन वर्ष बाद इससे जुड़ना होगा, जिसमें उन्हें समूह 1 के अधीन राज्य विद्युत यूटिलिटि के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटि की शर्त को पूरा करना होगा।

प्राइवेट कंपनियों को उस स्थिति में वित्त वर्ष (एन-2) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने होंगे, यदि वे चालू वर्ष (एन) के 30 सितंबर से पहले वित्तीय सहायता चाहते हों और यदि चालू वित्त वर्ष (एन) के 01 अक्तूबर को या उसके बाद एनईएफ के अधीन वित्तीय सहायता मांगी गई हो तो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष (एन-1) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(vi) **टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना**

राज्य विद्युत यूटिलिटि के रूप में कार्य करने वाली यूटिलिटि के संबंध में उस स्थिति में एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा चालू वर्ष का टैरिफ आदेश जारी किया जाना चाहिए, यदि यह

यूटिलिटि चालू वित्त वर्ष के 30 नवंबर को या उससे पहले वित्तीय सहायता चाहती हो।

यदि यूटिलिटि चालू वित्त वर्ष के नवंबर माह के बाद वित्तीय सहायता चाहती हो तो एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा चालू वर्ष के संबंध में टैरिफ आदेश जारी किया जाना चाहिए और आगामी वित्त वर्ष के लिए टैरिफ याचिका यूटिलिटि द्वारा दाखिल कर दी जानी चाहिए।

5.4 आधारभूत मापदंडों के आधार पर ब्याज सब्सिडी का मूल्यांकन

उपर्युक्त पूर्व पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली यूटिलिटी का मूल्यांकन किया जाएगा और आधारभूत मापदंडों के अनुसार उनकी उपलब्धियों पर अंक दिए जाएंगे।

इस योजना के अधीन दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी की पात्रता समूह I और समूह II के अंतर्गत आने वाली यूटिलिटी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सुधारात्मक उपायों की प्राप्ति में कुल अंक प्राप्त करने पर निर्भर करेगा।

उपलब्धियों का हिसाब लगाने के लिए आधार वर्ष वित्त वर्ष (एन-1) होगा। उदाहरणार्थ, वित्त वर्ष 12-13 (एन) की ब्याज सब्सिडी का मूल्यांकन करने के लिए आधार वर्ष वित्त वर्ष 11-12 (एन) होगा। कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी और अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच) (एसीएस - सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर औसत राजस्व) में कमी को वित्त वर्ष एन के संबंध में वित्त वर्ष एन-1 को हिसाब में लिया जाएगा।

क) पात्रता के मापदंडः

(i) कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमीः

यूटिलिटी के स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का हिसाब यूटिलिटी के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा लगाया जाएगा। वित्त वर्ष (एन) के लिए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी वित्त वर्ष (एन-1) के आधार पर उस वर्ष में दावे का हिसाब लगाया जाएगा जब सब्सिडी का दावा किया जाता है अर्थात वित्त वर्ष 12-13 (एन) की ब्याज सब्सिडी का मूल्यांकन करने के लिए वित्त वर्ष 2011-12 (एन-1) आधार वर्ष होगा।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिकों हानियों में कमी' के अंकों का आनुपातिक हिसाब लगाया जाएगा अर्थात अंकों का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

यदि पिछले वर्ष के दौरान कुल वाणिज्यिक और तकनीकी हानियां 6% से कम रही हों तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। समग्र 8% के कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों तक पहुंचने पर यूटिलिटी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्तर को बनाए रखे।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड के अनुसार यूटिलिटी को अंक दिए जाएंगेः

यूटिलिटि	समूह-I	समूह-II
कुल लाभ-हानियों में की गई कमी	प्राप्तांक	प्राप्तांक
पिछले वर्ष के दौरान 10% तक कमी	50	75
पिछले वर्ष के दौरान 8% तक कमी	40	60
पिछले वर्ष के दौरान 6% तक कमी	30	45

(ii) प्राप्त सब्सिडी (रुपए/केडब्ल्यूएच) के आधार पर राजस्व अंतर में कमी

प्राप्त सब्सिडी के आधार पर राजस्व अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच) आपूर्ति की औसत लागत(एसीएस) - सब्सिडी के आधार पर औसत राजस्व (एआरआर)

यूटिलिटी के स्तर पर राजस्व अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच) के अंतर में कमी का हिसाब यूटिलिटी के लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा सूची में शामिल किए गए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा लगाया जाएगा। वित्त वर्ष (एन) के लिए "राजस्व अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच) में कमी" यदि वह वर्ष एन हो, जिसके लिए सब्सिडी का दावा किया जा रहा है तो उसका हिसाब आधार वर्ष (एन-1) के आधार पर लगाया जाएगा अर्थात वित्त वर्ष 2012-13 (एन) की ब्याज सब्सिडी के मूल्यांकन के लिए आधार वर्ष 2011-12 (एन-1) होगा।

राजस्व अंतर (रुपए/केडब्ल्यूएच) में कमी के अंकों को आनुपातिक आधार पर निकाला जाएगा अर्थात अंक आनुपातिक आधार पर दिए जाएंगे और यदि पिछले वर्ष के दौरान अंतर में कमी 15% से कम रही हो तो कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

अंतर में कमी की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित मापदंड के अनुसार यूटिलिटि को अंक दिए जाएंगेः

यूटिलिटि..........	समूह-I	समूह-II
अंतर में आई कमी	**अंक**	**अंक**
यदि प्राप्त सब्सिडी के आधार पर प्रति इकाई प्राप्त औसत राजस्व, औसत लागत पूर्ति से अधिक रहा हो	40	25
पिछले वर्ष के दौरान 25% तक अंतर में कमी	30	20
पिछले वर्ष के दौरान 20% तक अंतर में कमी	20	15
पिछले वर्ष के दौरान 15% तक अंतर में कमी	10	10

(iii) इक्विटी पर परिलब्धि (आरओई)

समूह-I के लिए

यदि एसईआरसी/जेईआरसी ने इस संबंध में राष्ट्रीय टैरिफ नीति के पैरा 5.3(क) और/या एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी किए गए लागू विनियमों के अनुसार आरओई या आरओसीई या कोई अन्य उचित परिलब्धि की अनुमति दी गई हो, तो यूटिलिटि को कुल पांच अंक दिए जाएंगे अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इस मापदंड का मूल्यांकन एसईआरसी/जेईआरसी के संगत आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में यूटिलिटि द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया जाएगा।

समूह-II के लिए

इस मापदंड के अनुसार, इन यूटिलिटियों को कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यदि एसईआरसी/जेईआरसी ने 31 मार्च, 2014 तक आरओई या आरओसीई या किसी अन्य उचित परिलब्धि की अनुमति नहीं दी गई हो तो यूटिलिटि को इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.6 में उल्लिखित दंडों के प्रावधान को भुगतना पड़ेगा। 31 मार्च, 2014 के बाद इन मापदंडों का मूल्यांकन यूटिलिटियों द्वारा एसईआरसी/जेईआरसी के संगत आदेशों की प्रमाणित

प्रतिलिपियों के रूप में प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाएगा।

(iv) बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी)विनियम की अधिसूचना

समूह-I के लिए

यदि एसईआरसी/जेईआरसी उस यूटिलिटि के लिए एमवाईटी विनियम जारी किया हो तो 5 अंक दिए जाएंगे अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इस मापदंड का मूल्यांकन एसईआरसी/जेईआरसी के संगत आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में यूटिलिटि द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया जाएगा।

समूह-II के लिए

इस मापदंड के अनुसार, इन यूटिलिटियों को कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यदि एसईआरसी/जेईआरसी ने 31 मार्च, 2014 तक इस यूटिलिटि के लिए एमवाईटी विनियम जारी न किया हो, तो इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5.6 में उल्लिखित दंडों के प्रावधान का सामना करना पड़ेगा। 31 मार्च, 2014 के बाद इन मापदंडों का मूल्यांकन यूटिलिटियों द्वारा एसईआरसी/जेईआरसी के संगत आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाएगा।

5.5 ब्याज सब्सिडी की दर का हिसाब लगाने के लिए वर्गीकरण

पैरा 5.4 में उल्लिखित मापदंडों के संबंध में इन प्रतिष्ठानों के कुल अंकों के आधार पर उन्हें नीचे दिए अनुसार ब्याज सब्सिडी दर के हिसाब के लिए वर्गीकृत किया जाएगाः

क) समूह-I के अधीन आने वाली यूटिलिटियों के संबंध में

श्रेणी	प्राप्तांक (कुल 100 अंकों में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	75 से अधिक या 75 के बराबर	5
श्रेणी ख	75 से कम लेकिन 50 से अधिक या 50 के बराबर	4
श्रेणी ग	50 से कम लेकिन 35 से अधिक या 35 के बराबर	3

टिप्पणीः 35% से कम अंक प्राप्त करने वाली यूटिलिटियां ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगी।

ख) समूह-II के अधीन आने वाली यूटिलिटियों के संबंध में

(i) 31 मार्च, 2014 तक लागू

श्रेणी	प्राप्तांक (कुल 100 अंकों में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	60 से अधिक या 60 के बराबर	7
श्रेणी ख	60 से कम लेकिन 40 से अधिक या 40 के बराबर	6
श्रेणी ग	40 से कम लेकिन 30 से अधिक या 30 के बराबर	5

टिप्पणीः 30% से कम अंक प्राप्त करने वाली यूटिलिटियां ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगी।

(ii) **01 अप्रैल, 2014 के बाद से लागू**

श्रेणी	प्राप्तांक (कुल 100 अंकों में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	75 से अधिक या 75 के बराबर	7
श्रेणी ख	75 से कम लेकिन 50 से अधिक या 50 के बराबर	6
श्रेणी ग	50 से कम लेकिन 35 से अधिक या 35 के बराबर	5

टिप्पणीः 35% से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

5.6 दंड का प्रावधान

(क) यदि समुचित आयोग द्वारा समूह I के अधीन आने वाली यूटिलिटी को राष्ट्रीय टैरिफ नीति या लागू राज्य विनियमों के अनुसार 'आरओई या आरओसीई' या किसी अन्य उचित वापसी का 31 मार्च, 2014 तक कोई लाभ नहीं दिया जाता, तो यूटिलिटी को ब्याज सब्सिडी के 0.25% की वापसी के रूप में दंड देना होगा। यह दंड लागू सब्सिडी से 0.25% की कटौती करके किया जाएगा न कि लागू सब्सिडी के 0.25% की दर से।

(ख) यदि समूह II के अधीन आने वाली यूटिलिटियों को समुचित आयोग द्वारा 31 मार्च तक बहुवर्षीय टैरिफ की अनुमति नहीं दी जाती, तो यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी के 0.25% की वापसी के रूप में दंड देना होगा। यह दंड लागू सब्सिडी से 0.25% की कटौती करके देना होगा न कि लागू सब्सिडी के 0.25% के तक।

6. राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना से लाभ उठाने का तंत्र

6.1 राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)के अधीन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना

(क) सभी परियोजनाओं के प्रस्तावों की राज्य स्तर पर वितरण सुधार समिति (डीआरसी) द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। प्राइवेट डिस्कॉम की पात्र परियोजनाओं को भी एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ख) उधारकर्ता/यूटिलिटी पात्र परियोजना के लिए ऋण की स्वीकृति के साथ-साथ अपने उधारदाता के माध्यम से इस योजना के अधीन पात्रता के मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी से संपर्क करेगा।

(ग) नोडल एजेंसी इस योजना के अधीन पात्रता के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से उस प्रस्ताव का मूल्यांकन करवाएगी।

(घ) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन के आधार पर नोडल एजेंसी इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और तदनुसार विचारार्थ संचालन समिति से सिफारिश करेगी।

(ङ.) नोडल एजेंसी संचालन समिति के निर्णय की सूचना संबंधित उधारदाता और उधारकर्ता/यूटिलिटी को देगी।

(च) उधारदाता अपने उचित विवेक को अपनाएगा और उधारकर्ता/यूटिलिटी को ऋण की रकम का संवितरण शुरू करेगा।

(छ) उधारकर्ता/यूटिलिटी अपने उधारदाता के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा मुहैया कराए गए टेम्पलेट के अनुसार (परन्तु इस तक सीमित नहीं होकर) अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा'

6.2 ब्याज सब्सिडी की दर और सब्सिडी की मात्रा का (वार्षिक आधार पर) मूल्यांकन करने के लिए

(क) उधारकर्ता/यूटिलिटी अपने उधारदाता के माध्यम से निर्धारित फार्मेट में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा ताकि पैरा 5.3 के अनुसार पूर्व पात्रता का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ब्याज सब्सिडी की दर और प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी की रकम की मात्रा के संबंध में पैरा 5.4 के अनुसार पात्रता के मापदंड का हिसाब लगाया जा सके।

(ख) संबंधित उधारकर्ता/यूटिलिटी अपने उधारदाता के माध्यम से संबंधित उधारदाता द्वारा विधिवत सत्यापित अन्य संगत दस्तावेजों सहित ऋण की प्रतिपूर्ति और अदा किए गए वास्तविक ब्याज के विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्रत्येक श्रृंखला के अनुसार वास्तविक संवितरण और ब्याज की अदायगी के अनुसार ऋण की प्रत्येक श्रृंखला के संबंध में ब्याज सब्सिडी का हिसाब अलग से लगाया जाएगा।

(घ) नोडल एजेंसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से उधारकर्ता/यूटिलिटी के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी ताकि ब्याज सब्सिडी सुनिश्चित की जा सके और विचारार्थ संचालन समिति को उस प्रस्ताव के संबंध में सिफारिश की जा सके।

(ड.) संचालन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी की रकम नोडल एजेंसी के माध्यम से उधारदाता को दी जाएगी। उधारदाता नोडल एजेंसी से ब्याज सब्सिडी प्राप्त होने पर उधारकर्ता को ब्याज सब्सिडी देगा।

(च) ब्याज सब्सिडी उधार की अवधि में वार्षिक आधार पर दी जाएगी।

ब्याज सब्सिडी का दावा करते समय उधारकर्ता/यूटिलिटी अपने उधारदाता के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा मुहैया कराए गए टेम्पलेट के अनुसार (परन्तु इस तक सीमित ना होकर) जानकारी प्रस्तुत करेगा

6.3 अनुवर्ती वर्षों में राष्ट्रीय विद्युत निधि के अधीन सहायता का लाभ उठाते रहने के लिए शर्तें

(क) राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन ये लाभ उस स्थिति में अनुवर्ती वर्षों में भी उधारकर्ताओं को मिलते रहेंगे यदि वे इन दिशानिर्देशों के पैरा 5.3 के अधीन दी गई पूर्व पात्रता की शर्तों को पूरा करेंगे।

(ख) उपर्युक्त के अलावा, ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाते रहने के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगाः

(i) उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को समय पर अदायगी करना;

(ii) ब्याज सब्सिडी का उस समय यूटिलिटी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा जब वह एसईआरसी/जेईआरसी को वार्षिक वित्तीय अपेक्षाएं, (यदि लागू हों) दाखिल कर रहे हों ताकि ये लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें।

6.4 परियोजना के समापन तक उसकी मॉनीटरिंग

(क) उधारकर्ता, उधारदाता द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार पात्र परियोजनाओं के अधीन कार्य का समापन सुनिश्चित करेगा।

(ख) उधारकर्ता अपने उधारदाता के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा मुहैया कराए गए टेम्पलेट के अनुसार (परन्तु इस तक सीमित ना हो कर) जानकारी प्रस्तुत करेगा।

7. हितधारकों की भूमिका और दायित्व

7.1 नोडल एजेंसी

संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी होगी। आरईसी इस योजना के अधीन नोडल प्वॉइंट होगा और वह उधारकर्ताओं, उधारदाताओं, संचालन समिति और विद्युत मंत्रालय जैसे हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। नोडल एजेंसी सेवा प्रभारों के रूप में उधारकर्ताओं से स्वीकृत ऋण की रकम के 0.5% का दावा नीचे दिए अनुसार करेगीः

(क) संचालन समिति द्वारा ब्याज सब्सिडी के अनुमोदन की स्वीकृति के समय (पहले वर्ष में) सेवा प्रभार का 30% (अर्थात स्वीकृत ऋण की रकम के 0.5% का 30%);

(ख) शेष रकम का दावा अनुवर्ती 14 वर्ष में पात्र सेवा प्रभारों के 5% की दर से 14 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा अथवा ऋण की अवधि के अनुसार शेष समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, बशर्ते कि ऋण की अवधि अपेक्षाकृत कम हो।

7.2 नोडल एजेंसी निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगीः

(क) उधारकर्ता द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किए गए पूर्व पात्रता शर्तों और पात्रता के मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति;

(ख) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार प्रस्तावों का वार्षिक मूल्यांकन;

(ग) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर उधारकर्ताओं के ब्याज सब्सिडी दावों का सत्यापन करना और संचालन समिति के अनुमोदन के लिए ऋण प्रस्तावों पर ब्याज सब्सिडी की सिफारिश करना;

(घ) इस योजना के अधीन पात्र समझी गई सभी यूटिलिटि और ब्याज सब्सिडी जारी रखने का अनुमोदन चाहने वाली सभी यूटिलिटीयों की योजना में निर्धारित सुधार संबंधी लक्ष्यों के लिए हिताधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों के आधार पर यूटिलिटि के संबंध में ब्याज सब्सिडी की दर की पात्रता की अधिसूचना जारी करना;

(ड.) प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने सहित आवश्यक कार्य करना और पात्र उधारकर्ताओं/यूटिलिटी को ब्याज सब्सिडी की अदायगी करना;

(च) भारत सरकार से वार्षिक रूप से ब्याज सब्सिडी की रकम प्राप्त करना और उसे उधारकर्ताओं को समय-समय पर संवितरित करने, सेवा प्रभारों की अदायगी करने और अन्य प्रासंगिक लागतों आदि के लिए अलग बैंक खाते में रखना।

7.3 संचालन समिति : राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) की संचालन समिति के अध्यक्ष सचिव (विद्युत)/ विशेष सचिव (विद्युत)/ अपर सचिव (विद्युत) होंगे और उसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतिनिधि भी होंगे।

संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः

(क) राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों को अनुमोदित करना;

(ख) इस योजना के अधीन ब्याज सब्सिडी के पात्र प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

(ग) उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी जारी करने का अनुमोदन देना;

(घ) निधि के उपयोग और शर्तों के अनुपालन संबंधी कार्यक्रम का मॉनीटरन करना;

(ड़) कठिनाइयों को दूर करने के लिए पूर्व पात्रता शर्तों में परिवर्तन/आशोधन, यदि कोई हों, को अनुमोदित करना और इस योजना का सुचारु संचालन करने में सहायता प्रदान करना।

7.4 उधारकर्ताः उधारकर्ता निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगेः

(क) राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन लाभ उठाने के लिए संचालन समिति के अनुमोदन के लिए नोडल एजेंसी को उधारदाता के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

(ख) परियोजना की प्रगति और संवितरण के विवरणों के संबंध में नोडल एजेंसी को अद्यतन जानकारी देना;

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वार्षिक खातों में प्राप्त ब्याज सब्सिडी को दर्शाना;

(घ) निर्धारित फार्मेट के अनुसार नोडल एजेंसी को अपेक्षित सूचना मुहैया कराना।

7.5 स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताः प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए संचालन समिति के अनुमोदन से नोडल एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना के अधीन, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगेः

(क) पूर्व पात्रता की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ख) पात्रता के मापदंड, के अधीन प्रत्येक आधारभूत मापदंडों के विरूद्ध उधारकर्ताओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, कुल अंको, ब्याज सब्सिडी की दर तथा मात्रा की गणना करना।

8. राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया

8.1 राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के अधीन वित्तीय लेन-देन राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से किया जाएगा।

8.2 भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों को नोडल एजेंसी के अलग बैंक खाते (एनईएफ खाता) में अंतरित किया जाएगा।

8.3 नोडल एजेंसी एनईएफ खाते का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए निधियों के लेन-देन हेतु करेगीः

(क) संबधित उधारकर्ता/यूटिलिटी को दिए जाने के लिए संबंधित उधारदाताओं को समय-समय पर ब्याज सब्सिडी का संवितरण;

(ख) पैरा 7.1 में निर्धारित तंत्र के अनुसार स्वीकृत ऋण की रकम के 0.5% की दर से सेवा प्रभार अपने खाते में डालना;

(ग) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं को अदायगी;

(घ) अन्य प्रासंगिक व्यय।

9. राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन संप्रेषण का सिद्धांतः

9.1 नोडल एजेंसी आरईसी के मुख्यालय, स्कोप कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली में एनईएफ योजना के प्रबंधन और प्रचालन के लिए एनईएफ प्रकोष्ठ स्थापित करेगी। एनईएफ प्रकोष्ठ एनईएफ योजना के प्रचालन की तारीख से

काम करना आरंभ करेगा। सभी प्रकार का संप्रेषण, पूछताछ, सूचना आदि आवश्यक होने पर ई-मेल/औपचारिक पत्र के माध्यम से किया जाएगा।

9.2 नोडल एजेंसी 'एनईएफ नोडल अधिकारी' के रूप में एक अधिकारी नियुक्त करेगी जो किसी भी संप्रेषण, पूछताछ, सूचना आदि के लिए प्रत्येक उधारकर्ता के नामित नोडल अधिकारी (अधिकारियों) के साथ ही संव्यवहार करेगा। उधारकर्ता का नोडल अधिकारी उनके संबंधित संगठन का/के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होंगे।

नोडल एजेंसी इस योजना के संबंध में एक वेबसाइट तैयार करेगी जिसमें इस योजना से संबंधित सूचना और नोडल एजेंसी के नोडल अधिकारी सहित मुख्य अधिकारियों के संपर्क उपलब्ध होंगे।

ब्याज सब्सिडी चाहने वाले, एनईएफ सहायता जारी रखने या परियोजना की मॉनीटरिंग और प्रस्ताव के टेम्पलेट के अनुसार मूल्यांकन करने के इच्छुक व्यक्ति प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए उधारकर्ता द्वारा सभी सूचना प्रस्तुत की जाएगी। यह सूचना टाइप की हुई प्रति और सॉफ्ट प्रति के रूप में होगी। टाइप प्रति तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी जबकि सॉफ्ट कॉपी सीडी के रूप में या ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 निम्नलिखित के संबंध में नोडल एजेंसी और उधारकर्ता के बीच संप्रेषण के माध्यम के रूप में ई-मेल का उपयोग किया जाएगाः

(क) आंकड़ों में विसंगति या अतिरिक्त आंकड़े मांगने के संबंध में नोडल एजेंसी द्वारा की जाने वाली पूछताछ;

(ख) उधारकर्ता द्वारा नोडल एजेंसी को पूछताछ का उत्तर और/या अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करना। यदि सूचना की मात्रा बहुत अधिक हो तो उसे सीडी के रूप में प्रस्तुत करना होगा;

(ग) एनईएफ प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा वांछित या उधारकर्ता के नोडल अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा अपेक्षित कोई अन्य संप्रेषण।

9.4 नोडल एजेंसी को अग्रेषित किए जाने के लिए उधारकर्ता द्वारा उधारदाता को प्रस्तुत की जाने वाली सभी सूचना निर्धारित फार्मेट में होनी चाहिए और वह सुपाठ्य होनी चाहिए अन्यथा उसे रद्द कर दिया जाएगा।

9.5 नोडल एजेंसी को यह अधिकार है कि वह यदि आवश्यक समझे तो ब्याज सब्सिडी के प्रस्ताव और उसका हिसाब लगाने के लिए मूल्यांकन करने/मूल्यनिरूपण करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सूचना मांग सकती है।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः

यदि इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो संचालन समिति आशोधन और संशोधन करके ऐसी समुचित कार्रवाई कर सकती है जो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और त्वरित हो।

11. ये दिशानिर्देश संचालन समिति द्वारा दिनांक 30.04.2012 को आयोजित अपनी बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार जारी किए जा रहे हैं।

(संजीव कुमार)
निदेशक (वितरण)

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों के ऊर्जा/विद्युत सचिव।
3. राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

1. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री के.एल.शर्मा, निदेशक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. विद्युत मंत्रालय, व्यय विभाग, (योजना वित्त प्रभाग-II), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
5. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
7. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली।
10. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

विद्युत मंत्री के निजी सचिव/विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव।
सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव।
अपर सचिव (एएल) के प्रिंसीपल स्टाफ अधिकारी।
संयुक्त सचिव (वितरण) के वैयक्तिक सहायक/संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव।

अनुबंध-I

संख्या 24/01/2012-एनईएफ/एपीडीआरपी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 14 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों (पीएफसी, आरईसी और अन्य वित्तीय संस्थान) द्वारा संवितिरत किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरों में आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)

1. इस मंत्रालय के दिनांक 08 फरवरी, 2012 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करते हुए, वितरण क्षेत्र के ढांचे में सुधार करने के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटी, सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों की वितरण कंपनियों को संवितरित किए जाने वाले ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन वितरण क्षेत्र की प्राइवेट और सरकारी विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इनमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विभाग और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी। आरजीजीवीवाई भारत सरकार की एक प्रतिठित योजना है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है और जिसके अधीन सभी ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की पहुंच के प्रावधान का लक्ष्य रखा गया है तथा आर-एपीडीआरपी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने के लिए वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ और अद्यतन करना है।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधार संबंधी उपायों को पात्रता की पूर्व शर्त में जोड़ा गया है और ब्याज सब्सिडी की रकम को सुधार संबंधी मापदंडों में प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) के लिए राज्यों को 'विशेष श्रेणी और केंद्रित (फोकस्ड) राज्य' तथा 'विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्य' की श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्यों की श्रेणी, पात्रता की पूर्व शर्त सुधारात्मक उपायों के आधार पर अंक देने का मापदंड, दंड और इस योजना की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन वित्तीय सहायता का मापदंड अनुबंध-। में दिया गया है।

4. प्रस्तावित योजना के अधीन जिन योजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है, वे अनुबंध-।। में दी गई हैं।

5. सचिव (विद्युत)/ विशेष सचिव (विद्युत)/ अपर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति पात्र परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन पात्र ब्याज सब्सिडी के प्रस्तावों को मंजूरी देगी। संचालन समिति इस योजना के प्रचालन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए पात्रता की पूर्व शर्तों में ढील दे सकती है। संशोधन भी कर सकती है। यह संचालन समिति निधियों के उपयोग और शर्तों के अनुपालन की प्रगति को भी मॉनीटर करेगी। नोडल एजेंसी, उधारदाता, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, उधारकर्ता और संचालन समिति की भूमिका/परिभाषा अनुबंध-III में दी गई हैं।

6. ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र प्रत्येक विद्युत यूटिलिटी को अनुबंध- । में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर अंक

दिए जाएंगे। अनुबंध-I के पैरा 3 के अनुसार, इन मापदंडों के आधार पर प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर यूटिलिटियों को वर्गीकृत किया जाएगा और विशेष श्रेणी तथा केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों में 3% से 5% और विशेष श्रेणी तथा केंद्रित राज्यों में 5% से 7% ब्याज दर में सब्सिडी की पात्रता के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। 35% से कम अंक प्राप्त करने वाली कोई भी यूटिलिटी 31 मार्च, 2014 के बाद किसी ब्याज सब्सिडी की पात्र नहीं होगी। इसकी मॉनीटरिंग वार्षिक आधार पर की जाएगी और ब्याज की दरों में सब्सिडी का तदनुसार हिसाब लगाया जाएगा। आधारभूत मापदंडों का स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सत्यापन किया जाएगा और ऋण के प्रस्तावों पर ब्याज सब्सिडी को नोडल एजेंसी की सिफारिश पर संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों में अनबंडलिंग और वार्षिक खातों आदि को समय पर प्रस्तुत करने की पूर्व शर्त को इस स्कीम के प्रचालन के तीन वर्ष बाद अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा। इस योजना का फ्लो चार्ट अनुबंध-IV में संलग्न है।

7. राष्ट्रीय विद्युत निधि कुल 8466 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देगी, जो दो वर्ष अर्थात वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण योजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए तक की रकम का ऋण संवितरण 14 वर्षों तक के लिए करेगा। 8466 करोड़ रुपए के परिव्यय में उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी की अदायगी, सेवा नोडल एजेंसी का सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की अदायगी और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल होंगी।

8 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) इस योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी होगी, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के लिए गठित संचालन समिति के मार्गदर्शन में ब्याज सब्सिडी योजना की निधि मुहैया कराई जाएगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि ब्याज सब्सिडी योजना की नोडल एजेंसी के रूप में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को स्वीकृत ऋण के 0.5% के बराबर सेवा प्रभार अदा किए जाएंगे।

9. इस योजना को परिचालित करने के विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

10. उपर्युक्त योजना से संबंधित व्यय को वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान संख्या 75-विद्युत मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित शीर्षों में नामे डाला जाएगा और अनुवर्ती वर्षों में तदनुरूप लेखा शीर्षों में नामे डाला जाएगाः

2801	विद्युत (मुख्य शीर्ष)
	(उप-मुख्य शीर्ष)
	(लघु शीर्ष)
29	राष्ट्रीय विद्युत निधि
29.00.33	सब्सिडीज

11. यह कार्यालय ज्ञापन विद्युत मंत्रालय के वित्त विंग द्वारा उनकी डायरी संख्या 27/वित्त/12 दिनांक 13.03.2012 के जरिए दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों के ऊर्जा/विद्युत सचिव।
3. राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्ष/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

1. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री के.एल.शर्मा, निदेशक), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. विद्युत मंत्रालय, व्यय विभाग, (योजना वित्त प्रभाग-॥), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
6. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. लेखा नियंत्रक, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली।
9. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन,नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

विद्युत मंत्री के निजी सचिव/विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव।

सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव।

अपर सचिव (एएल) के प्रिंसीपल स्टाफ अधिकारी।

संयुक्त सचिव (वितरण) के वैयक्तिक सहायक/संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के पीपीएस।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) से वित्तीय सहायता के लिए मापदंड

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों की राज्य विद्युत यूटिलिटियों, राज्य विद्युत विभाग और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

संचालन समिति द्वारा तय की गई वितरण योजना वित्तपोषण के लिए पात्र होंगी और ऐसी योजना की श्रेणियों की संकेतात्मक सूची अनुबंध-II में दी गई है। इस सूची में शामिल श्रेणियों की चालू स्वीकृति योजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

एक ही योजना को अनुदान और सब्सिडी देने में दोहरापन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वितरण योजना की यह सब्सिडी ऐसे कस्बों के लिए होगी जिनकी संख्या 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों मामले में 10,000) से कम हो और सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केवल गैर आर-एपीडीआरपी और गैर-आरजीजीवीवाई परियोजनाएं ही इस योजना के अधीन सब्सिडी की पात्र होंगी।

ऋण की स्वीकृति पर वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 से विचार किया जाएगा और इसकी वापसी की अवधि 10 वर्ष होगी। ब्याज सब्सिडी की अवधि 14 वर्ष होगी बशर्ते कि वे शर्तों को पूरा करते हों।

इस योजना के अधीन राज्यों की दो श्रेणियां होंगीः

(i) विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्य; और

(ii) विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्य

विशेष श्रेणी के राज्य हैंः पूर्वोत्तर के सभी राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर। केंद्रित राज्य होंगेः बिहार और झारखंड चूंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय (उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) राष्ट्र की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम थी और वहां यूटिलिटियां अनबंडल्ड नहीं हैं; राज्य जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अविद्युतीकृत आवासों की संख्या कुल संख्या का 50% से कम है और कोई अन्य राज्य जहां विद्युत विभाग हो।

पात्रता की पूर्व शर्तें:

		विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों की यूटिलिटियां	विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियां - विद्युत विभाग	विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियां और विद्युत विभाग के अलावा अन्य
क.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का प्रचालनः पिछले वर्ष के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने के लिए एसईआरसी का गठन और टैरिफ याचिका, यदि कोई हो, के आधार पर चालू वर्ष के लिए टैरिफ आदेश जारी करना।	✓	×	✓
ख.	कारोबार योजना तैयार करनाः वित्तीय कारोबार और/या स्थायी लाभकारिता के संबंध में पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तृत कारोबार योजना प्रस्तुत करना, जिसमें अभिनिर्धारित तरीकों के अनुसार वित्तीय लक्ष्य, ऐसे मामले में राज्य सरकार द्वारा कारोबार योजना का अनुमोदन, यदि कारोबार योजना में राज्य सरकार का सहयोग लेने पर विचार किया गया हो और एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा कारोबार योजना में निवेश के अनुमोदन का उल्लेख किया गया हो	✓	✓	✓
ग.	राज्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठनः नए गठित यूटिलिटियों के लिए आरंभिक शेष का तुलन पत्र तैयार करना, अंतरण योजना की अधिसूचना, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यों के लिए कंपनियों का गठन करना और नई गठित यूटिलिटि यों द्वारा प्रचालन शुरू करना।	✓	×	×
घ.	सब्सिडीःविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करना।	✓	✓	✓
ड.	वार्षिकखाते लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करना।	✓	×	✓
च.	टैरिफ याचिका समय पर दाखिल करना।	✓	×	✓

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार।

टिप्पणीः

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए दी गई लिखित प्रतिबद्धता को पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ग्राह्य किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्युत निधि के अधीन जिस वर्ष यूटिलिटी द्वारा वित्तीय सहायता मांगी गई है, उस चालू वर्ष की सब्सिडी के मामले में यदि प्रतिबद्धता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निधि जारी नहीं की गई है तो इस योजना के अधीन ब्याज दर की सब्सिडी तत्काल वापस ले ली जाएगी।

(ख) यदि कोई यूटिलिटी चालू वित्त वर्ष के 30 सितंबर से पहले वित्तीय सहायता चाहता है तो उसे चालू वित्त वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में यूटिलिटी द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने होंगे। यदि राष्ट्रीय विद्युत निधि के अधीन वित्तीय सहायता चालू वित्त वर्ष के 01 अक्तूबर को या उसके बाद मांगी गई हो तो पूर्ववती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने होंगे।

2. सुधारात्मक उपायों के आधार पर अंक देने का मापदंड

		विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों की यूटिलिटियां	विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियां - विद्युत विभाग	विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियां और विद्युत विभाग के अलावा अन्य
(क)	कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमीः (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों के संबंध में अंक आनुपातिक रूप से दिए जाएंगे अर्थात यदि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में कमी के संबंध में दी गई प्रतिशतता से कम उपलब्धि होती है तो अंक काट दिए जाएंगे। यदि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में कमी 6% से कम रहती है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा)। कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों का 8% प्राप्त करने पर उस यूटिलिटी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रतिशतता को बनाए रखेगा।	• पिछले वर्ष में 10% तक कमी (50 अंक) • पिछले वर्ष में 8% की कमी (40 अंक) • पिछले वर्ष में 6% की कमी (30 अंक)	• पिछले वर्ष में 10% तक कमी (75 अंक) • पिछले वर्ष में 8% की कमी (60 अंक) • पिछले वर्ष में 6% की कमी (45 अंक)	• पिछले वर्ष में 10% तक कमी (75 अंक) • पिछले वर्ष में 8% की कमी (60 अंक) • पिछले वर्ष में 6% की कमी (45 अंक)

(ख)	अंतर में कमी (रुपए/केडब्ल्यूएच) (एसीएस - प्राप्त सब्सिडी के आधार पर औसत राजस्व) (यदि अंतर में कमी के लिए निर्धारित प्रतिशतता से कम उपलब्धि होती है तो आनुपातिक रूप से अंकों में कटौती की जाएगी। यदि पिछले वर्ष में 15% से कम अंतर में कमी होती है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा)।	• औसत राजस्व > एसीएस (40 अंक) • पिछले वर्ष में 25% तक अंतर में कमी (30 अंक) • पिछले वर्ष में 20% तक अंतर में कमी (20 अंक)। • पिछले वर्ष में 15% तक अंतर में कमी (10 अंक)	• औसत राजस्व > एसीएस (25 अंक) • पिछले वर्ष में 25% तक अंतर में कमी (20 अंक) • पिछले वर्ष में 20% तक अंतर में कमी (15 अंक)। • पिछले वर्ष में 15% तक अंतर में कमी (10 अंक)	• औसत राजस्व > एसीएस (25 अंक) • पिछले वर्ष में 25% तक अंतर में कमी (20 अंक) • पिछले वर्ष में 20% तक अंतर में कमी (15 अंक)। • पिछले वर्ष में 15% तक अंतर में कमी (10 अंक)
(ग)	इक्विटी पर परिलब्धि • राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार एसईआरसी/ जेईआरसी द्वारा इक्विटी पर वापसी में छूट	5 अंक	दंड का प्रावधान	दंड का प्रावधान
(घ)	बहुवर्षीय टैरिफ • एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी अधिसूचना जारी करना	5 अंक	दंड का प्रावधान	दंड का प्रावधान

टिप्पणीः

(i) उपयुक्त 2(क) के अनुसार कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी का मूल्यांकन करने के लिए; इसके तौर-तरीकों को संचालन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त 2(ख) के अनुसार अंतर में कमी का मूल्यांकन उस वित्त वर्ष से पूर्ववर्ती दो वित्त वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ऐसे विविध विभाग शामिल नहीं होंगे जिनका मूल्यांकन योजना आयोग की संसाधन योजना के आधार पर किया जाता है।

(iii) उपर्युक्त 2(ग) के अनुसार इक्विटी पर वापसी और उपर्युक्त 2(घ) के अनुसार बहुवर्षीय टैरिफ का मूल्यांकन यूटिलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत ऐसी सूचना के आधार पर किया जाएगा, जिसे एसईआरसी के संगत आदेश की प्रमाणित प्रतियों सहित यथा अपेक्षित तरीके से विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

3(क) विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों से भिन्न राज्यों की यूटिलिटियों का वर्गीकरण उपर्युक्त 2 के अनुसार मापदंडों के आधार पर निकाले गए समेकित अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन यूटिलिटियों को सब्सिडी की ब्याज दर के लिए श्रेणी और पात्रता इस प्रकार तय की जाएगीः

श्रेणी	अंक (100 में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	75 से अधिक या उसके बराबर	5
श्रेणी ख	75 से कम लेकिन 60 से अधिक या उसके बराबर	4
श्रेणी ग	50 से कम लेकिन 35 से अधिक या उसके बराबर	3

(ख) विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियां/विद्युत विभागों का श्रेणीकरणः

उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर प्राप्त समेकित अंकों के आधार पर नीचे दिए अनुसार यूटिलिटियों को ब्याज दर में सब्सिडी के लिए श्रेणीबद्ध और पात्र समझा जाएगाः

(31 मार्च, 2014 तक)

श्रेणी	अंक (100 में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	60 से अधिक या उसके बराबर	7
श्रेणी ख	60 से कम लेकिन 40 से अधिक या उसके बराबर	6
श्रेणी ग	40 से कम लेकिन 30 से अधिक या उसके बराबर	5

01 अप्रैल, 2014 से आगेः

श्रेणी	अंक (100 में से)	ब्याज दर में सब्सिडी (%)
श्रेणी क	75 से अधिक या उसके बराबर	7
श्रेणी ख	75 से कम लेकिन 50 से अधिक या उसके बराबर	6
श्रेणी ग	50 से कम लेकिन 35 से अधिक या उसके बराबर	5

4. दंड

विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों की यूटिलिटियों द्वारा उपर्युक्त 2(ग) और 2(घ) में उल्लिखित मापदंड का 31 मार्च, 2014 तक अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि 31 मार्च, 2014 तक इन मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो इन मापदंडों को पूरा करने तक निम्नलिखित दंड लगाया जाएगाः

एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी अधिसूचना जारी करना	0.25% की ब्याज सब्सिडी को वापस लेना
राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा इक्विटी पर वापसी प्रदान करना	0.25% की ब्याज सब्सिडी को वापस लेना
उपर्युक्त 0.25% का दंड लागू सब्सिडी से काटा जाएगा न कि लागू सब्सिडी के 0.25% से।	

5. शर्तें

(क) यदि उपर्युक्त पैरा 1 के अनुसार पूर्व शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो यूटिलिटी/विद्युत विभाग राष्ट्रीय विद्युत निधि के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उनकी गतिविधियों को वार्षिक आधार पर मॉनीटर किया जाएगा और तदनुसार ब्याज दर की सब्सिडी का हिसाब लगाया जाएगा। इसके अलावा, ब्याज दर में सब्सिडी केवल निम्नलिखित स्थितियों में लागू होगीः

- यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा समय पर अदायगी करना।
- यूटिलिटियों द्वारा चालू वित्त वर्ष से पूर्ववर्त्ती वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करना (लेकिन ये खाते विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे), जिसमें मूल्यांकन किया जाता है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से पूर्ववत्ती वर्ष के लिए जारी की जा चुकी हो, जिसमें मूल्यांकन किया जाता है।
- एसईआरसी को एआरआर दाखिल करते समय यूटिलिटी द्वारा ब्याज सब्सिडी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ताकि उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा सके।
- विशेष श्रेणी और केंद्रित राज्यों के बिजली बोर्डों का इस योजना के प्रचालन के तीन वर्ष के अंदर विद्युत अधिनियम की धारा 131 के अनुसार पुनर्गठन हो जाना चाहिए।

6. इन दिशानिर्देशों का कोई निर्वचन, पात्रता की शर्तों में आशोधन संचालन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है।

अनुबंध-II

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)के माध्यम से वितरण क्षेत्र के लिए वित्तपोषण किए जाने वाली पात्र वितरण योजनाओं का विवरण

1. 33 केवी/66 केवी की वोल्टता स्तर की वितरण योजनाओं को निम्नलिखित में शामिल किया जा सकता हैः
   - वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिसमें सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर/ट्रांसफॉर्मर केंद्र भी शामिल हैं;
   - लाइनों पर फिर से कंडक्टर लगाना
   - लोड द्वि-विभाजन, लोड संतुलन, एससीएडीए, फीडर पृथक्करण आदि;
   - सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों, उपभोक्ता उद्योगों के लिए जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों का रिमोट मीटरिंग और ऑटोमैटिक डेटा लॉगिन;
   - मीटरों का संस्थापन - प्री पेड/ऑटोमेटेड/डाउनलोड किए जाने योग्य;
   - वितरण प्रबंधन से संबंधित आईटी आवेदनपत्र;
   - एचटी/एलटी अनुपात को बढ़ाने के लिए एचवीडीएस योजना;
   - विद्युत लाइन संप्रेाण/रेडियो संप्रेषण योजना आदि जिससे वितरण प्रबंधन में सहायता हो सके। संप्रेषण योजना आदि जिससे वितरण प्रबंध में सहायता हो सके। ऐसी संप्रेषण प्रणाली जिससे ऊर्जा प्रवाह और लेखाकरण के संबंध में मीटरों से केंद्रीय सर्वर तक डेटा अंतरित करने में सहायता मिल सके;
   - सिटीजन सर्विस सेंटरों की स्थापना, जिनकी स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने, बिल संबंधी मुद्दों और उत्तर देने के समय में कमी करने के उद्देश्य से की गई है;
   - छोटे क्षेत्रों और शहरों में गैर आर-एपीडीआर और गैर-आरजीजीवीवाई में फीडरों को अलग-अलग करना और कृषि तथा घरेलू फीडरों के लिए एचवीडीएस/सेपरेटर परियोजना करना।

2. प्रतियोगी बोली के माध्यम से चुने गए संभावित इनपुट आधारित फ्रैंचाइजी और अन्य फ्रैंचाइजी और डीडीजी योजना को इस योजना के अधीन प्रोत्साहित किया जाएगा। इन फ्रेंचाइजी से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुरक्षण, उठाईगिरी और चोरी निवारण, राजस्व वसूली, ऊर्जा लेखाकरण और लेखापरीक्षा आदि जैसे विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक सुधारों को करें। इसके अलावा, फ्रैंचाइजी इस सिस्टम में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने में भी योगदान देंगे।

3. इन कस्बों का कार्य आर-एपीडीआरपी में किए गए कार्य की भांति होना चाहिए। इस योजना के अधीन आने वाली इन परियोजनाओं की लेखाकरण और लेखापरीक्षा प्रणाली राज्य यूटिलिटी के आईटी रोड मैप के अनुसार होनी चाहिए और आर-एपीडीआरपी के अधीन स्थापित आईटी प्रणाली से आसानी से इंटीग्रेट हो पाये। इस योजना के अधीन प्रस्तावित आईटी प्रणाली को राज्य यूटिलिटी के आईटी परामर्शदाता/आईटी प्रभाग द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए।

4. आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नहीं आने वाले शहरों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण योजना को इस योजना के अधीन लाया जा सकता है अर्थात ऐसे शहरों और नगरों को, जिनमें 15% से कम कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियां हों।

5 मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा) की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर वितरण सुधार समितियां इन परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश करेंगी।

6. संचालन समिति के अनुमोदन से कोई अन्य वितरण योजना ।

अनुबंध-III

नोडल एजेंसी, उधारदाता, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं, उधारकर्ता और संचालन समिति की भूमिका और परिभाषा

(क) नोडल एजेंसी

- नोडल एजेंसी को उधारदाता द्वारा भेजे गए विवरणों के आधार पर उधारकर्ता की पात्रता का मूल्यांकन करना होगा।
- नोडल एजेंसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की सिफारिश पर आधारित दावों का सत्यापन करेगी। समेकित अंकों के आधार पर ब्याज सब्सिडी के लिए संचालन समिति के अनुमोदन हेतु नोडल एजेंसी द्वारा सिफारिश की जाएगी।
- इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों से संबद्ध सुधार के संबंध में उधारकर्ता की उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठानों के संबंध में ब्याज सब्सिडी की दर की पात्रता को आवधिक रूप से अधिसूचित करेगा।
- नोडल एजेंसी सभी आवश्यक कार्य करेगी, जिसमें उधारकर्ताओं को देने के लिए प्रत्येक उधारदाता को ब्याज सब्सिडी की अदायगी के लिए संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करना भी शामिल है।
- नोडल एजेंसी भारत सरकार से वार्षिक रूप से ब्याज सब्सिडी की रकम प्राप्त करेगी और उसे समय-समय पर पात्र उधारकर्ताओं को देने और सेवा प्रभारों की अदायगी करने, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य प्रासंगिक लागतों आदि की अदायगी करने के लिए अलग बैंक खाते में रखेगी।

(ख) उधारदाताः

- इस योजना के अधीन पात्रता का निर्धारण करने के लिए आरईसी, पीएफसी और बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं नोडल एजेंसी को उधारकर्ताओं के विवरण भेजेंगी।
- इस योजना के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा एक बार उधारकर्ता की पात्रता सूचित करने पर उधारदाता उसके दावों पर कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी को ब्याज सब्सिडी का दावा भेजेंगे।
- नोडल एजेंसी से ब्याज सब्सिडी प्राप्त होने पर उधारदाता उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी जारी करेंगे।

(ग) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता

- स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति संचालन समिति के अनुमोदन से नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता आधारभूत मापदंडों का निर्धारण करेगा और अलग-अलग योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगा तथा कमियों और अंतरणों से संबंधित रिपोर्ट देगा और उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव देगा।
- स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता ब्याज सब्सिडी योजना/नोडल एजेंसी की अपेक्षाओं के अनुसार पात्रता के मापदंडों के प्रत्येक शीर्ष के अनुसार उधारकर्ता की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेगा।

(घ) **'उधारकर्ता'** से तात्पर्य है राज्य विद्युत यूटिलिटी/राज्य विद्युत विभाग और वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों डिस्कॉम तथा फ्रैंचाइजी शामिल हैं । निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए, उधारकर्ता इस सब्सिडी का लाभार्थी होगा।

(ड़) **'संचालन समिति'**: इस योजना की संचालन समिति का अध्यक्ष सचिव (विद्युत)/विशेष सचिव (विद्युत)/अपर सचिव (विद्युत) होंगे और इसमें योजना आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और बीईई के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संचालन समिति अनुबंध-II में उल्लिखित सूची में दी गई राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन पात्र प्रस्तावों को स्वीकृति देगी। पात्रता की पूर्व शर्तें संचालन समिति की अनुमति/अनुमोदन से बदली जा सकती हैं ताकि इस योजना के प्रचालन में आने वाली कठिनाईयों का दूर किया जा सके।

फ्लो चार्ट : राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना

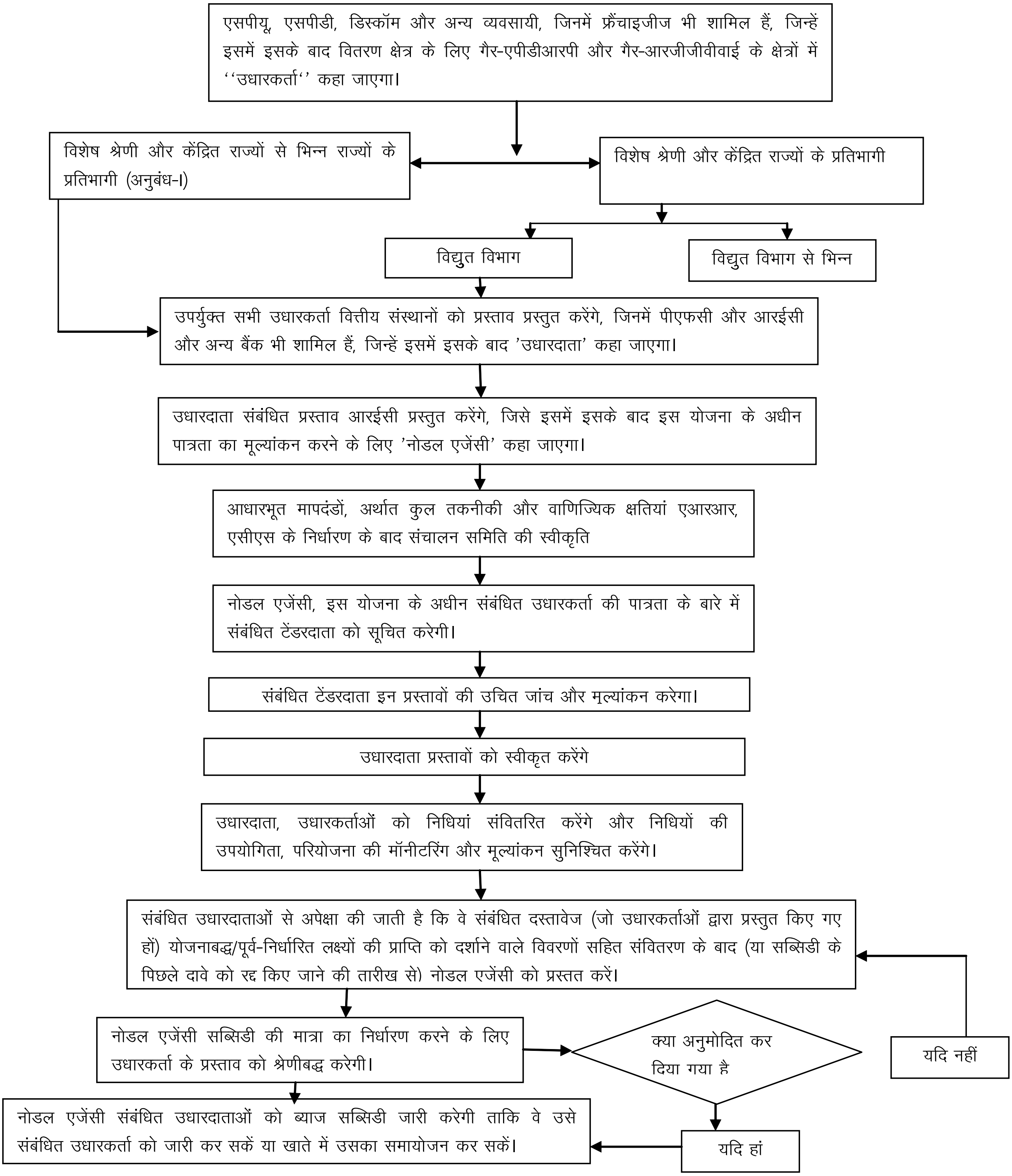

अनुबंध-II

संख्या 24/01/2012-एनईएफ/एपीडीआरपी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकः 13 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)के लिए संचालन समिति के गठन के बारे में।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 13.12.2011 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) (ब्याज सब्सिडी योजना)के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ताकि सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों की राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को प्राइवेट और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा सके जिससे वितरण क्षेत्र के आधारभूत ढांचे में सुधार हो सके।

2. राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जा रहा है जिसका स्वरूप इस प्रकार होगाः

I. सचिव (विद्युत)/विशेष सचिव (विद्युत)/अपर सचिव (विद्युत) - अध्यक्ष

II. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

III. प्रधान सलाहकार (ऊर्जा, योजना आयोग)

IV. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

V. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग)

VI. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय(वित्तीय सेवा विभाग)

VII. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन - सदस्य-सचिव

VIII. सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार

IX. सचिव (ऊर्जा), महाराष्ट्र सरकार

X. प्रधान सचिव (ऊर्जा) आंध्र प्रदेश सरकार

XI. प्रधान सचिव (ऊर्जा) पश्चिम बंगाल सरकार

XII. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

XIII. संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय

XIV. निदेशक (वितरण), विद्युत मंत्रालय

3. संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगेः

(क) योजना के प्रचालन के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना;

(ख) अनुबंध-। में दी गई सांकेतिक सूची में उल्लिखित राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना के अधीन पात्र प्रस्तावों को मंजूरी देना;

(ग) इस योजना के प्रचालन में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए पात्रता की पूर्व शर्त में आशोधन करने पर विचार करना;

(घ) निधियों के उपयोग की प्रगति को मॉनीटर करना;

(ड.) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक निर्णय भी लेना।

4. इसके अलावा, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए गठित की जा रही संचालन समिति के मार्गदर्शन में इस योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी होगा। आरईसी इस कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति को जनशक्ति, सामग्री और अन्य लॉजिस्टिक सहायता जैसी आवश्यक सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा।

5. इस समिति के सदस्य अपने-अपने कार्यालयों से यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का आहरण करेंगे।

6. यह कार्यालय ज्ञापन माननीय विद्युत मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(जी. स्वान जा लियन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभा सं.23705957

सेवा में,

संचालन समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषितः

माननीय विद्युत मंत्री के निजी सचिव।

माननीय विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव।

सचिव (विद्युत) के निजी सचिव

संयुक्त सचिव(वितरण)के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार के निजी सचिव, विद्युत मंत्रालय

निदेशक (वितरण)/उप महाप्रबंधक (एपीडीआरपी), विद्युत मंत्रालय

अनुबंध-I

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना)के माध्यम से वितरण क्षेत्र के लिए वित्तपोषण किए जाने वाली पात्र वितरण योजनाओं का विवरण

1. 33 केवी/66 केवी की वोल्टता स्तर की वितरण योजनाओं को निम्नलिखित में शामिल किया जा सकता है:
   - वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिसमें सब स्टेशन ट्रांसफॉर्मर/ट्रांसफॉर्मर केंद्र भी शामिल हैं;
   - लाइनों पर फिर से कंडक्टर लगाना
   - लोड विभाजन, लोड संतुलन, एससीएडीए, फीडर पृथक्करण आदि;
   - सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों, उपभोक्ता उद्योगों के लिए जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों का रिमोट मीटरिंग और ऑटोमैटिक डेटा लॉगिन;
   - मीटरों का संस्थापन - प्री पेड/ऑटोमेटेड/डाउनलोड किए जाने योग्य;
   - वितरण प्रबंधन से संबंधित आईटी आवेदनपत्र;
   - एचटी/एलटी अनुपात को बढ़ाने के लिए एचवीडीएस योजना;
   - विद्युत लाइन संप्रेषण/रेडियो संप्रेषण योजना आदि जिससे वितरण प्रबंधन में सहायता हो सके। संप्रेषण योजना आदि जिससे वितरण प्रबंध में सहायता हो सके। ऐसी संप्रेषण प्रणाली जिससे ऊर्जा प्रवाह और लेखाकरण के संबंध में मीटरों से केंद्रीय सर्वर तक डेटा अंतरित करने में सहायता मिल सके;
   - सिटीजन सर्विस सेंटरों की स्थापना, जिनकी स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने, बिल संबंधी मुद्दों और उत्तर देने के समय में कमी करने के उद्देश्य से की गई है;
   - छोटे क्षेत्रों और कस्बो में गैर आर-एपीडीआरपी और गैर-आरजीजीवीवाई में फीडरों को अलग-अलग करना और कृषि तथा घरेलू फीडरों के लिए एचवीडीएस/सेपरेटर परियोजना करना।
2. प्रतियोगी बोली के माध्यम से चुने गए संभावित इनपुट आधारित फ्रैंचाइजी और अन्य फ्रैंचाइजी और डीडीजी योजना को इस योजना के अधीन प्रोत्साहित किया जाएगा। इन फ्रेंचाइजी से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुरक्षण, उठाईगिरी और चोरी निवारण, राजस्व वसूली, ऊर्जा लेखाकरण ओर लेखापरीक्षा आदि जैसे विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक सुधारों को करें। इसके अलावा, फ्रैंचाइजी इस सिस्टम में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने में भी योगदान देंगे।
3. इन शहर का कार्य आर-एपीडीआरपी में किए गए कार्य की भांति होना चाहिए। इस योजना के अधीन आने वाली इन परियोजनाओं की लेखाकरण और लेखापरीक्षा प्रणाली राज्य यूटिलिटी के आईटी रोड मैप के अनुसार होनी चाहिए और आर-एपीडीआरपी के अधीन स्थापित आईटी प्रणाली से आसानी से इंटीग्रेट हो पाये। इस योजना के अधीन प्रस्तावित आईटी प्रणाली को राज्य यूटिलिटी के आईटी परामर्शदाता/आईटी प्रभाग द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए।
4. आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत नहीं आने वाले शहरों के लिए वितरण सुदृढ़ीकरण योजना को इस योजना के अधीन लाया जा सकता है अर्थात ऐसे शहरों और नगरों को, जिनमें 15% से कम कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां हों।
5. मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/ऊर्जा) की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर वितरण सुधार समितियां इन परियोजनाओं के प्रस्तावों की सिफारिश करेंगी।
6. कोई अन्य वितरण योजना संचालन समिति के अनुमोदन से जारी की जाएगी।

पात्र परियोजनाओं के दृष्टांत सूची

1. वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी) योजना के अंतर्गत आने वाली पात्र परियोजनाओं की दृष्टांत सूची में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता हैः

(i) क्षति कम करने के उपाय जिनका उद्देश्य वितरण तंत्र में तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करना है।

- वितरण के स्तर तक वितरण हानियों के सही अनुमान के जरिए ऊर्जा लेखाकरण प्रणाली और लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना। इसमें वितरण परिसंपत्तियों और उपभोक्ताओं का जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफॉर्मरों और फीडरों का रिमोट मीटरिंग और ऐसे सभी बिंदुओं से ऑटोमैटिक डेटा लॉगिन शामिल है। इस योजना के अधीन आने वाली इन परियोजनाओं के लिए ऊर्जा लेखाकरण और लेखापरीक्षा प्रणाली राज्य यूटिलिटी के आईटी रोडमैप की भांति होगी और आर-एपीडीआरपी के अधीन गठित आईटी प्रणाली से आसानी से इंटीग्रेट हो पाय' इस योजना के अधीन प्रस्तावित आईटी प्रणाली को यूटिलिटी के आईटी परामर्शदाता/आईटी प्रभाग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।
- कारोबार यूनिट/उपभोक्ता श्रेणियों के लिए प्री-पेड/पोस्ट-पेड मीटर लगाकर राजस्व वसूली का सुदृढ़ीकरण।
- इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग के जरिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के मीटर लगाना।
- **फीडर को अलग-अलग करना/पृथक करना।**
- **उच्च वोल्टता वाली वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)।**

(ii) **प्रणाली के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण** का उद्देश्य वितरण प्रणाली की समग्र क्षमता को बढ़ाना है ताकि बिजली की भावी मांग को पूरा किया जा सके।

- **वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण** में नए सब-स्टेशन, वितरण ट्रांसफॉर्मरों का उच्चीकरण/संस्थापन, एचटी और एलटी नेटवर्क आदि बिछाना शामिल है।
- **पुराने फीडरों को ठीक करना, उन्हें बदलना और उनका उच्चीकरण ।**
- लोडेड फीडरों/वितरण ट्रांसफॉर्मरों के **लोड का विभाजन करना।**
- **अन्य वितरण क्षेत्र संबंधी बुनियादी ढांचे के अन्य कार्य।**

(iii) **प्रचालन संबंधी दक्षता बढ़ाना**

- **ग्रिड सब-स्टेशनों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अर्जन (एससीएडीए)** का कार्यान्वयन
- गैर आर-एपीडीआरपी क्षेत्रों में चल रहे आर-एपीडीआरपी भाग-क की भांति वितरण प्रबंधन के लिए विशेष **आईटी अनुप्रयोगों को लागू करना।**
- सिस्टम के प्रचालन की सुविधा के लिए **वितरण तंत्र प्रबंधन अनुप्रयोगों को लागू करना।**

(iv) **उपभोक्ता संबंध/प्रबंधन/शिकायत निवारण**

- शिकायत दर्ज करने/सेवा अनुरोध दर्ज करने और उनकी अद्यतन स्थिति से संबंधित **सिटीजन सेवा केंद्र स्थापित करना।**
- आपूर्ति में बाधा पड़ने को दर्ज करने, शिकायतों, सेवा अनुरोधों, विद्यमान स्थिति की सुविधा आदि को दर्ज करने के लिए **आईवीआरएस आधारित केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित करना।**